न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 18/2018

पीठासीन अधिकारी

करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 श्रीमती सिणगारी आयु 74 वर्ष स्त्री रामकरण उर्फ करणाराम।
2 सोहनलाल आयु 57 वर्ष पुत्र रामकरण उर्फ करणाराम।
3 बनारसी लाल आयु 55 वर्ष पुत्र रामकरण उर्फ करणाराम।
4 शीशराम आयु 52 वर्ष पुत्र रामकरण उर्फ करणाराम समस्त जाति जाट निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 शिवचन्द पुत्र दीपाराम।
2 रामचन्द्र पुत्र दीपराम समस्त जाति जाट निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये लेन्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4 शाखा प्रबन्धक बड़ौदा क्षेत्रिय राजस्थान ग्रामीण बैंक अजाड़ी कलां तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 15.02.18
बमुकदमा उनवानी शिवचन्द वगैरह बनाम
रामकरण वगैरह प्रार्थना पत्र अं.धा. 51ए
राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 मु.नं. 8/15
बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

उपस्थित

1. श्री शिवनारायण सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मदन सिंह गिल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–24.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा प्रार्थनप पत्र संख्या 8/2015 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की और से अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 755 के खातेदार काश्तकार होना अंकित करते हुये खसरा नम्बर 1140/740 वाके ग्राम जाखल का अपने आप को सहखातेदार होना बतलाकर अपीलांट की खातेदारी खसरा नम्बर 755 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 12 फिट चौड़ा व 140 मीटर

लम्बा रास्ता कायम करने का आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से रास्ता कायम कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया है कि रेस्पोडेंट ने आवेदन में सभी सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाया है प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तहसीलदार कि रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 4 में संलग्न नक्शे में अ से ब तक की सीमा के दक्षिण की और सरकारी जोहड़ी होना दिखाया गया है जो प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1140/755 के दक्षिण में स्थित है। प्रार्थीगण इसी में से आवागमन करते आ रहे है यह रास्ता 137 मीटर पड़ता है जबकि दिये गये रास्ते की लम्बाई 257 मीटर है ऐसी स्थिति में 137 मीटर वाला रास्ता विधि अनुसार दिया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2014(1) पेज 40 आर.आर.टी. 2016(1) पेज 649 आर.आर.टी. 2015(2) पेज 755 आर.आर.टी. 2016(2) पेज 798 एवं 1281 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया रास्ता मौके पर चालु था इसीलिए इस रास्ते का अनुतोष चाहा गया है। नियम 69 के अनुसार कमीश्नर रिपोर्ट प्राप्त कर जांच के उपरान्त विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अपने कथनों के समर्थन में धारा 251ए के नियमों की प्रति प्रस्तुत की है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जाये।

राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुंझुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट का कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 755 से दिया गया रास्ता विधि सम्मत है जबकि अपीलांट के कथन है कि खसरा नम्बर 752 में से रास्ता देने पर 257 मीटर दूरी का अंकन तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में किया है। तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 752 में से रास्ता देने पर बिन्दु संख्या 5 के अनुसार बी. बिन्दु से एफ तक की दुरी 257 मीटर है जबकि रेस्पोडेंट के खेत खसरा नम्बर 1140/755 से दक्षिण की तरफ गैर मुमकिन जोहड़ी ग्राम भोड़की मुताबित नजरी नक्शा अवस्थित है जिससे रेस्पोडेंट प्रार्थी के खेत की दुरी बिन्दु संख्या 6 के अनुसार बिन्दु जी.से एच की दूरी 137 मीटर है व जी. से अ.तक जोहड़ी की सीमा तक 32 मीटर है। तहसीलदार की इस रिपोर्ट से पूर्णतया स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये रास्ते में 257 मीटर की दूरी आती है जबकि प्रार्थी के खेत के दक्षिण में जोहड़ी तक रास्ता देने पर 137 मीटर दूरी ही आती है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नही किया है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में एवं धारा 251ए के प्रावधानों में स्पष्ट है कि लघुतम या निकटतम रास्ता मंजूर किया जाना चाहिए विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुये मनमाने रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक एवं लघुतम व निकटतम रास्ता प्रार्थी की भूमि से दक्षिण की तरफ उपलब्ध है।

भू प्रबन्ध अधिकारी
क्षेत्र राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है रेस्पोडेंट चाहे तो वैकल्पिक रास्ते के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/9/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर